संख्याः 33 /XXIV-3/2005

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरॉचल,देहरादून।

शिक्षा अनुभाग –3 देहरादून दिनॉक 21 नवम्बर,2005

विषयः वित्तीय वर्ष 2005–06 में माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन के लिए प्रथम अनुपूरक मॉग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2005–2006 में माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं पर व्यय हेतु प्रथम अनुपूरक मॉग के माध्यम से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष में कुल रू0 14,81,15,000/– (रूपये चौदह करोड़ इकासी लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि को इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि आहरण वितरण अधिकारी बधनबद्ध मदों यथा वेतन, मजदूरी, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, टेलीफोन, जल, विद्युतदेय, पेट्रोल/वाहन के रख–रखाव, भोजन व्यय, औषधि, वेतन सम्बन्धी अनुदान, आवश्यक अनुरक्षण, यात्रा/स्थानान्तरण यात्रा, किराया, छात्रवृत्ति/छात्रवेतन, पेंशन, ऋण/ब्याज तथा कार्यालय व्यय के आवश्यक मदों पर ही धनराशि को व्यय किया जायेगा। उक्त मदों से भिन्न मदों में व्यय हेतु धनराशि के आहरण के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

2– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/ शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगाः–

1— योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/ स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

2— यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

3— अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

4— आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाय।

5— मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

6— व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

7— अवशेष धनराशि की जिलावार फॉट एवं अनुदान सम्बन्धी योजनाओं के गत वर्ष स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र इसी माह के अन्त तक शासन को प्रस्तुत कर दिये जाय, तभी अवशेष धनराशि की स्वीकृति निर्गत किया जाना सम्भव होगा।

8— स्वीकृत धनराशि की जिलावार फॉट सम्बन्धित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 एवं अनुदान संख्या–30 के अधीन लेखा शीर्षक "2202–सामान्य शिक्षा"– 02–माध्यमिक शिक्षा एवं " 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय "के अधीन

सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक /सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–167/वित्तअनु0 3 दिनॉक 17/11/05 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

संलग्नक– यथोपरि।

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्याः 33 /XXIV-3/2005 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तरॉचल, देहरादून।
2– निजी सचिव,मा0 मुख्य मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरॉचल।
5– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरॉचल।
6– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरॉचल।
7– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय
8– वित्त अनुभाग –3/ नियोजन अनुभाग ।
9– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
10– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)।
11– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

शासनादेश संख्या: 33 /XXIV-3/2005 दिनांक 21 नवम्बर,2005
का संलग्नक–

लेखा शीर्षक / योजना	(धनराशि हजार रूपये में)	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
अनुदान संख्या–11 राजस्व लेखा 2202–सामान्य शिक्षा– 02–माध्यमिक शिक्षा– 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय 07–प्रत्येक जनपद में राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय की स्थापना – 17– किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	400	–
800–अन्य व्यय 01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 0103–अशासकीय पुस्तकालयों को केन्द्रीय सहायता 20–सहायक अनुदान अंशदान / राज सहायता	778	–
पूँजी लेखा 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01– सामान्य शिक्षा– 202–माध्यमिक शिक्षा– 91– जिला योजना – 9103– राजकीय माध्यविद्यालयों का भवन निर्माण, विस्तार विद्युतीकरण एवं भूमि भवन क्रय तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (जिला योजना) 24 – वृहत निर्माण कार्य	6237	–
योग–	7415	–

अनुदान संख्या–30 राजस्व लेखा 2202– सामान्य शिक्षा 02– माध्यमिक शिक्षा 109– राजकीय माध्यमिक विद्यालय 02– अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 0201– अ0सू0जा0 बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय मा0 विद्यालयों की स्थापना ।		
01 वेतन	14800	—
03 महगाई भत्ता	4600	—
04 यात्रा भत्ता	210	—
05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50	—
06 अन्य भत्ते	1500	—
08 कार्यालय व्यय	200	—
11 लेखन सामग्री/फोर्मो की छपाई	200	—
12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300	—
26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	650	—
27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	140	—
42 अन्य व्यय	100	—
45 अवकाश यात्रा व्यय	100	—
48 महगाई वेतन	6850	—
योग, 01	28700	
पूँजी लेखा		
4202–शिक्षा, खेल कूद , कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		
01–सामान्य शिक्षा		
202–माध्यमिक शिक्षा		
02–अ0 सू0 जा0 के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
0201–अ0 सू0 जा0 बाहुल्य क्षेत्रों मे रा0इं0 , इ0 कालेजों के भवनहीन भवनों का निर्माण /जीर्णोद्धार –		
24–वृहत निर्माण कार्य –	111000	
सम्पूर्ण योग	14,81,15[illegible]	

(रूपये चौदह करोड इकासी लाख पन्द्रह हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह)